न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थनापत्र 74/2021 (2021/329)

1. शंकरलाल पुत्र श्री गोकुल जाति खाती निवासी चेचिया का खेडा (छाबडिया) तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. छेवकरण पुत्र उगमा जाति मीणा
2. रोशन पुत्र देवकरण जाति मीणा
3. मनराज पुत्र देवकरण जाति मीणा
4. धनराज पुत्र देवकरण जाति मीणा

समस्त निवासीगण चेचिया का खेडा (छाबडिया) थाना केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

5. कालू पुत्र श्री सुगना गुर्जर निवासी चेचिया का खेडा (छाबडिया) तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

--अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–

श्री चेतन धाबाई – अधिवक्ता प्रार्थी

श्री हनुमान प्रसाद शर्मा – अधिवक्ता अप्रार्थीगण

पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 04/04/23

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात वाके ग्राम छाबडिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खेवट खतोनी संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
346–312	1117/1671 1152	0.48 1.14	बारानी दोयम बारानी दोयम
	कुल किता 2	कुल रकबा 1.62 है.	

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जो प्रार्थी के नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार के दर्ज है एवं प्रार्थी के ही कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 1177/1671 पर रास्ते के लगवा जबरन लाठी के बल पर कब्जा करना चाहते है एवं आये दिन लडाई झगडा करते रहते है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के स्थाई सीमा चिन्ह व पत्थरगढी नही होने से आये दिन अप्रार्थीगण द्वारा आराजीयात में घुसकर हाक चौक देते है, मेड को तोड देते है तथा रास्ते की तरफ की भूमि पर लाठी के बल पर कब्जा करना चाहते है एवं फसल को नुकशान कर देते है। आराजीयात की सीमा बाबत आये दिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण पडोसियों के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। प्रार्थी द्वारा श्रीमान तहसीलदार केकड़ी को सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त सीमाज्ञान से अप्रार्थीगण असंतुष्ट होकर सीमाचिन्हों को नष्ट कर दिये । दिनांक 11.07.2021 को प्रार्थी उक्त आराजीयात को हाकने गया तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने लग गये व प्रार्थी को हाकने चोकने नही दिया जिसकी रिपोर्ट दिनांक 16.07.2021 को पुलिस थाना केकड़ी में पेश की गई साथ ही श्रीमान पुलिस उपअधीक्षक केकड़ी व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर को भी उक्त घटना की रिपोर्ट की गई किन्तु रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नही हुई जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात की मौके पर उभयपक्षों की उपस्थिति में स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 1 से 7 के संबंध में प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम छाबडिया में स्थित होने संबंधी कथन रिकॉर्ड से संबंधित है। उक्त वर्णित आराजीयात पर पूर्वजों के समय से ही यानी करीबन 100 वर्षों से भी अधिक समय से ही अप्रार्थीगण का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण के बाडे बने हुए है जिनमें अप्रार्थीगण अपने जानवर इत्यादि बांधते है व चारा, इंधन की लकडियां आदि को रखने के काम में लेते है। प्रार्थी झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए बिना कब्जा उपयोग उपभोग के ही उक्त आराजी पर अपना कब्जा कर अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा, उपयोग उपभोग नही होने से प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है, तथा शेष कथन कतई गलत मिथ्या एवं मनगढंत होने के कारण दृढता के साथ अस्वीकार व अमान्य है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित की गई जिसमे बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी करवाने का हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम छावडिया तहसील केकडी के खाता संख्या नया–पुराना 346–312 में दर्ज खसरा नम्बर 1117/1671, 1152 किता 2 कुल रकबा 1.62 हैक्टर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकडी द्वारा नियमानुसार कार्मिकों की टीम गठित करके आदेश की पालना की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर